कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर

पत्रांक : 35 / एफ0एस0ओ0 / निरी0(प्रशि0) / 2019 दिनांक 05.04.2019

सेवा में,

डायरेक्टर / प्रबन्धक
श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कुल
रूडकी रोड, जनपद मुजफ्फरनगर।

विषय : उपरोक्त संस्थान में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था तथा अग्निशमन प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपके पत्रांक निल दिनाक 16.03.2019 के अनुपालन में।

आपके स्कूल / कॉलेज का निरीक्षण किया गया तो अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के भाग 4 टेबिल 23 में उल्लेखित शैक्षिक भवनों के प्राविधानों के अनुरूप पाई गयी। विद्यालय में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में संतोषजनक पाये गये, जिनको रिफलिंग व टैस्टिंग शुल्क 100/- रूप्ये भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेलवे रोड, मुजफ्फरनगर में जमा करा दिया गया है। विद्यालय के स्टॉफ / विद्यार्थियों को अग्निशमन उपकरणों को चलाने की जानकारी / प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में तथा चिन्हित स्थानों पर बनाये रखना नितान्त आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों की टैस्टिंग / रिफलिंग कराकर उनका निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करायेंगे तथा चालान की एक प्रति इस कार्यालय में रिकार्ड हेतु जमा कराकर, प्रत्येक वर्ष फायर उपकरणों की क्रियाशीलता का पत्र अग्निशमन विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी स्कूल / परिवार को सुरक्षित माना जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में यह नि0 सम्बन्धी प्र0 पत्र स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी / प्रबन्धक का होगा।

5-4-2019

अग्निशमन अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

अग्निशमन अधिकारी

Scanned with CamScanner